बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1988 पटना, दिनांक 05/03/10

ग्रा.वि.8(थ) 132/09

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- **सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-27(1) के आलोक में सभी जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-27(1) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के सभी जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं ।

अनुरोध है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता, नियुक्ति की शर्ते, उम्र सीमा एवं आवेदन देने की प्रक्रिया से संबंधित सूचना की प्रति जो इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम तीन दिन लगातार प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

अनु0:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

5/3/10

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1988 पटना, दिनांक 05/03/10

प्रतिलिपिः- श्री अशोक कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/10

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-27(1) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के सभी जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्ति से ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

नियुक्ति की शर्तें-

1. लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति दो वर्षों के लिए होगी । उनके द्वारा संपादित कार्यों के समीक्षोपरान्त उन्हें एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया जा सकेगा ।

2. लोकपाल (Ombudsman) के लिए प्रत्येक बैठक हेतु 500/- रूपया मानदेय के रूप में देय होगा । इसके अलावे किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे । जाँच कार्य हेतु क्षेत्रीय भ्रमण की सुविधा देय होगी ।

3. लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय जिला स्तरीय मुख्यालय में होगा । अत: ऐसे व्यक्ति आवेदन भेजें जो क्षेत्रीय भ्रमण एवं निरीक्षण आदि कार्य में शारीरिक रूप से सक्षम हों ।

4. आवेदक किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं हों ।

योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । लोक प्रशासन, विधि, शिक्षाजगत या सामाजिक कार्यों में अचूक सत्य निष्ठा एवं ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिन्हें कम से कम बीस साल का अनुभव प्राप्त हो ।

उम्र सीमा- अधिकतम 65 वर्ष (दिनांक- 01.03.2010 के आधार पर) ।

आवेदन देने की प्रक्रिया

आवेदन ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट- rdd.bih.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन भरा जाना है । आवेदन भरने के लिए पहले आवेदक उक्त वेबसाइट पर रजिस्टर कर लें । इसके लिए अपने यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड देकर आवेदन प्रपत्र को भरें । आवेदन पत्र भरने के पश्चात इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें । इसे हस्ताक्षरित कर प्रिंटेड प्रति को श्री सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पुराना सचिवालय, पटना-800015 को भेजें । आवेदन पत्र 20 मार्च, 2010 तक भेजा जा सकता है ।

5.3.10

प्रधान सचिव